चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/2427
दिनांक : 27-8-2025

सेवा में,

1. सचिव/प्राचार्य,
   समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान,
   चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

2. समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक
   विश्वविद्यालय परिसर
   चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

महोदय,

कृपया, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 08.07.2025 के संलग्न कार्यवृत का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो कि उतर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने हेतु निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के संदर्भ में हैं।

उक्त के संदर्भ में प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 08.07.2025 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत की प्रति संलग्न करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 01 में उल्लेखित दिशा–निर्देशों के आलोक में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

27-8-25

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

01. व्यैक्तिक सहायक कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
02. प्रभारी वेबसाइट इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
03. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कुलसचिव

परिवहन विभाग

A4067
22/8/25 संख्या- 2036/सत्तर-3-2025

1/1041483/2025

Campus

Registrar
Charan Singh University
Meerut

मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में आहूत उ0प्र0 राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठकों में प्रदत्त निर्देशों के सापेक्ष कृत कार्यवाही/अद्यतन स्थिति समीक्षा हेतु प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 08.07.2025 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

.../PSHED/2025

RM 25347
22/8/25

मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में आहूत उ0प्र0 राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठकों में प्रदत्त निर्देशों के सापेक्ष कृत कार्यवाही/अद्यतन स्थिति की समीक्षा हेतु प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 08.07.2025 को बैठक सम्पन्न हुई।

2. बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

3. बैठक में उ0प्र0 राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की दिनांक 01.01.2025 एवं 02.03.2025 को सम्पन्न बैठकों के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार चर्चा की गई। संकलित अनुपालन आख्याओं का अवलोकन किया गया, तत्पश्चात मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश द्वारा सड़क दुर्घटनाओं तथा उनमें मृत व्यक्तियों की संख्या में 50 प्रतिशत की कमी लाये जाने हेतु निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के संदर्भ में सम्यक विचारोपरान्त बैठक में निम्नानुसार मत स्थिर किया गया:-

वि0स0(GKT)
31/7/25

(आर०पी० चौधरी)
निजी सचिव,
प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

3787/US(T)/25
JS/S-3

01-8-25
(अम्बर लाल)
निजी सचिव
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उ० प्र० शासन

(1). स्कूलों/कालेजों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किये जाने के संबंध में यदि किसी पाठ्यक्रम/नवाचार को सम्मिलित किया जाना हो, तो तदनुरूप संशोधन हेतु कार्यवाही की जाए। सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में प्रदत्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र परिवहन विभाग को उपलब्ध भी कराया जाए।

(कार्यवाही-बेसिक/माध्यमिक/उच्च शिक्षा विभाग)

(2). एन0एच0 पर स्थित विद्यालयों के विद्यार्थियों के सुरक्षित आवागमन हेतु ऐसे समस्त विद्यालयों की सूची एन0एच0ए0आई0 को प्रेषित की जाए, जिनके विद्यार्थियों को एन0एच0 पार कर अपने विद्यालय जाना होता है। एन0एच0ए0आई0 द्वारा IRC:SP:32(Guidelines for Safer Commute Schools) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार सेफ स्कूल जोन बनाये जाने संबंधी कार्यवाही करें, जिससे कि इस प्रकार के चिन्हित किये गये विद्यालयों में विद्यार्थियों का सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया जा सके।

(कार्यवाही- बेसिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं एन0एच0ए0आई0)

श्री अखिल
5.8.2025

(3). सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाओं वाले शीर्ष 20 जनपदों समीक्षा के अंतर्गत इन जनपदों में जिला सड़क सुरक्षा समितियों की बैठकों की स्थिति, बैठकों के कार्यवृत्त तथा एजेण्डा बिन्दु की एकरूपता के प्रयोजनार्थ मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 26.07.2023 द्वारा निर्गत एस0ओ0पी0 का अनुपालन तथा जिला सड़क सुरक्षा

समिति तथा मण्डलीय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा परिवहन आयुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश व अन्य विभागों को प्रेषित प्रस्तावों की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया। सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, कार्यालय परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 में कार्यरत अधिकारियों को भी उक्त शीर्ष 20 जनपदों में आयोजित जिला/मण्डलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों एवं उनके कार्यवृत्त का पृथक से अध्ययन व अनुश्रवण सुनिश्चित किये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही-लोक निर्माण विभाग/परिवहन विभाग)

(4).माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में सर्वाधिक दुर्घटना वाले 20 जनपदों के जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक/स्टेक होल्डर विभागों के साथ प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग की अध्यक्षता में पुनः एक समीक्षा बैठक आयोजित करायी जाय।

(कार्यवाही - परिवहन विभाग)

(5) प्रदेश में जनवरी, 2025 से जून 2025 के मध्य जिन जनपदों द्वारा किसी भी माह में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों का आयोजन नहीं कराया गया, उन जनपदों के अधिशासी अभियन्ता/सचिव तथा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/सह-सचिव, जिला सड़क सुरक्षा समिति से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए। समस्त जनपदों में अनिवार्य रूप से प्रत्येक माह जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं मण्डलीय सड़क सुरक्षा समितियों की बैठक का आयोजन किया जाए तथा बैठक के कार्यवृत्त तथा एक्शन टेकेन रिपोर्ट को मोर्थ पोर्टल पर भारत सरकार की अपेक्षानुसार अपलोड किया जाय।

(कार्यवाही-लोक निर्माण विभाग/परिवहन विभाग)

(6). मण्डलीय सड़क सुरक्षा समिति की द्वितीय त्रैमास के अंत तक अर्थात दिनांक 30.06.2025 तक 07 संभागों (लखनऊ, चित्रकूटधाम बांदा, मुरादाबाद, गोरखपुर, सहारनपुर, आगरा एवं अलीगढ़) द्वारा 02 बैठकों का आयोजन किया गया, शेष संभागों (अयोध्या, देवीपाटन गोण्डा, बस्ती, कानपुर, प्रयागराज, बरेली, वाराणसी, आजमगढ़, मीरजापुर, मेरठ, गाजियाबाद एवं झांसी) के संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)/सचिव, मण्डलीय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा निर्धारित 02 बैठकों के स्थान पर मात्र 01 ही बैठक आयोजित किये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

(कार्यवाही- परिवहन विभाग)

(7). प्रदेश में एन0एच0ए0आई0 अपने निर्माणाधीन मार्गों पर स्थित विभिन्न जंक्शनों पर अनिवार्य रूप से सड़क सुरक्षा से संबंधित सुधारीकरण कार्यो को करायें। लोक निर्माण विभाग को यह निर्देश प्रदान किये गये कि एन0एच0ए0आई0 द्वारा जिन मार्गो का

निर्माण EPC (Engineering, Procurement and Construction)/HAM (Hybrid Annuity Model)पर किया जा रहा है, उन मार्गों पर स्थित समस्त मेजर/माइनर जंक्शन के सुधार हेतु लोक निर्माण विभाग के अभियन्ताओं द्वारा सतत निगरानी रखी जाय, जिससे राजमार्ग के निर्माण के साथ-साथ ही जंक्शनों पर अपेक्षित कार्य पूर्ण हो सकें। जो जंक्शन scope of work में सम्मिलित नहीं हैं, उनके सम्बन्ध में एन0एच0ए0आई0 से सम्पर्क कर उनके scope of work में जुड़वाया जाय।

(कार्यवाही- एन0एच0ए0आई0/लोक निर्माण विभाग)

(8). जंक्शन सुधार के संबंध में अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/विशेष कार्याधिकारी, सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन आयुक्त कार्यालय, उ0प्र0 द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि दुर्घटनाओं को कम करने हेतु जंक्शन पर मिलने वाले मार्गों का level differenceनहीं होना चाहिए, जिसके क्रम में जंक्शन पर मिलने वाले मार्गों काLevel IRC: SP: 88-2019 के पेज सं0- 41 पर अंकित Geometric elements in priority junction (Safer and Unsafe practice)के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभागके स्तर से यथोचित निर्देश निर्गत करने का मत स्थिर किया गया।

(कार्यवाही- एन0एच0ए0आई0/लोक निर्माण विभाग)

(9). "रोड ओनिंग एजेन्सी" द्वारा ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर शीघ्रता से मरम्मत करायी जाय। तीव्र मोड़ो को समुचित रूप से सुधारा जाय एवं वहाँ पर आवश्यक चेतावनी संकेतक चिन्ह लगायें जायें। अत्यधिक दुर्घटना संभावित स्थलों पर विशिष्ट सुरक्षा उपाय सुनिश्चित कराये जायें। वाहन चालकों एवं यात्रियों को सडक से सम्बद्ध क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से न ठहरने हेतु जागरूक किया जाय तथा उन्हें सावधानीपूर्वक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाय।

(कार्यवाही एन0एच0ए0आई0/यूपीडा/यीडा/उपशा/लोक निर्माण विभाग/परिवहन विभाग)

(10) लोक निर्माण विभाग के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा इस तथ्य का निरीक्षण किया जाय कि सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत रोड इन्जीनियरिंग एवं सड़क सुधार से जुड़े हुये कुल कितने प्रकरण लम्बित हैं। उन प्रकरणों में से सबसे पुराने प्रकरणों को चिन्हित कर बजट स्वीकृति के सम्बन्ध में तत्काल निर्णय लिया जाय। सबसे पुराने प्रस्ताव, जो शासन से स्वीकृत हैं तथा जिनका क्रियान्वयन अभी तक नहीं हो पाया है, उन्हें पूर्ण कराने की कार्यवाही शीघ्रता से की जाय। जिला/मण्डल स्तरीय समितियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर भी लोक निर्माण विभाग द्वारा शीघ्रता से कार्यवाही करायी जाय।

(कार्यवाही- लोक निर्माण विभाग)

(11) अवगत कराया गया कि जिला सड़क सुरक्षा समितियों द्वारा मुख्य सचिव महोदय के निर्गत शासनादेश के क्रम में 64 मॉडल सेफ सड़क चिन्हित की गयी है। इन सड़कों

के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही से अवगत कराया जाय। अन्य 11 जनपदों में भी इस प्रकार का चिन्हीकरण किया जाय।

(कार्यवाही- लोक निर्माण विभाग)

(12) परिवहन निगम के बस चालकों के प्रशिक्षण हेतु निर्मित चालन प्रशिक्षण केन्द्र हेतु निर्गत गाइडलाइन्स के अनुरूप ही संचालित हो रहे हैं अथवा नहीं, की जांच की जाए। इसके अतिरिक्त इन प्रशिक्षण केन्द्रों में चालकों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता (निर्धारित ट्रेनिंग माड्यूल) का भी नियमित अंतराल पर परीक्षण किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। नवीन बस चालकों से कार्य लिये जाने से पूर्व उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम अनिवार्य रूप से आयोजित किया जाय। निगम ओवरस्पीडिंग एवं रैश ड्राइविंग करने वाले चालकों की सघन निगरानी एवं स्पीड कन्ट्रोल हेतु उचित मानिटरिंग कन्ट्रोल रूम से की जाय।

(कार्यवाही- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम)

(13) परिवहन निगम के बस चालकों के सामान्य स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण नियमित अंतराल पर कराया जाए। शराब अथवा नशीले पदार्थों का सेवन कर बस संचालित किये जाने के विरूद्ध नियमित रूप से चेकिंग की जाए तथा बस चालकों द्वारा की जाने वाली ओवरस्पीडिंग व रैश ड्राइविंग के विरूद्ध कार्यवाही की जाए। इसके अतिरिक्त परिवहन निगम की समस्त बसों की फिटनेस भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए ।

(कार्यवाही- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम)

(14). उत्तर प्रदेश सड़क दुर्घटना जांच योजना, 2023 के अनुसार तीन या तीन से अधिक मृत्यु वाली सड़क दुर्घटनाओं का योजना के अंतर्गत गठित जांच समिति द्वारा 03 दिन में परीक्षण किया जाए। परीक्षण रिपोर्ट में अंकित सड़क दुर्घटना के कारणों तथा उनके निवारण हेतु सुझाव/उपाय एवं इन उपायों के सापेक्ष कृत कार्यवाही का विवरण उसी माह की जिला एवं मण्डलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में संबंधित सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन)/संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)द्वारा प्रस्तुत किया जाए तथा त्रैमासिक संकलित रिपोर्ट (दुर्घटना के कारण, उसका निवारण तथा कृत कार्यवाही) को राज्य स्तरीय समिति/परिवहन आयुक्त कार्यालय, उ0प्र0 को प्रेषित किया जाए।

(कार्यवाही- परिवहन विभाग)

(15) परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा दुर्घटनाओं की सूचनायें साप्ताहिक अद्यतन की जायें।

(कार्यवाही- परिवहन विभाग)

(16). समस्त एक्सप्रेस-वे एवं राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के किनारे व 200 मीटर दूरी तक स्थित मदिरा की दुकानें हटाये जाने हेतु प्रदत्त निर्देशों के क्रम में आबकारी विभाग द्वारा

पूर्ण अनुपालन किये जाने की सूचना के सापेक्ष जनपदों के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) के माध्यम से क्रास चैक कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही- परिवहन विभाग)

(17). परिवहन विभाग द्वारा उदगम स्थल पर ही ओवरलोडिंग की रोक-थाम हेतु प्रथम चरण में खनन विभाग के 06 चेकगेट्स में से 02 चेकगेट (नरैनी-जनपद बांदा एवं सैंया-जनपद आगरा) पर स्थापित किये जा चुके वे-इन-मोशन की क्रियाशीलता व उपयोग की स्थिति का परीक्षण संबंधित संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) द्वारा कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

(कार्यवाही- परिवहन विभाग)

(18). एन0एच0ए0आई0 के टोल प्लाजा से गुजरने वाले मालवाहन के ओवरलोडिंग की सूचना संबंधित जनपद के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को मय फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाए। यीडा पर स्थापित वे-इन-मोशन का एकीकरण ई-चालान पोर्टल से पूर्ण होने के फलस्वरूप प्राप्त ओवरलोडिंग डाटा के विरूद्ध संबंधित सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा चालान की कार्यवाही पूर्ण की जाए। यूपीडा से केवल ओवरस्पीडिग का ही डेटा प्राप्त हो रहा है। यीडा की भांति ही यूपीडा द्वारा भी समस्त टोल प्लाजा पर स्थापित वे-इन-मोशन का एकीकरण ई-चालान पोर्टल से किये जाने का आश्वासन दिया।

(कार्यवाही- एन0एच0ए0आई0/यीडा/यूपीडा)

(19) एनएचएआई द्वारा एन0आई0सी0 के माध्यम से डेटा शेयरिंग नहीं की जा रही है। निर्देश दिये गये कि एनएचएआई द्वारा ओवरलोडिंग एवं ओवरस्पीडिग की डेटा शेयरिंग एन0आई0सी0 के माध्यम से परिवहन विभाग को की जाय।

(कार्यवाही- एन0एच0ए0आई0/परिवहन विभाग)

(20). जेपी इन्फ्राटेक (यमुना एक्सप्रेस वे) तथा जहाँ से भी ओवरलोडिग डेटा एन0आई0सी0 के माध्यम से परिवहन/पुलिस विभाग को प्राप्त हो रहा है, चालान की कार्यवाही शीघ्रता से की जाय। साथ ही चालानों के सापेक्ष अग्रेतर कार्यवाही में गति लाई जाए।

(कार्यवाही- परिवहन विभाग/पुलिस विभाग)

(21)सड़क सुरक्षा की दृष्टि से आई0टी0एम0एस0 के माध्यम से प्राप्त डाटा के आधार पर विना फिटनेस वाले/बिना इंश्योरेंस वाले वाहनों के विरूद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही की जाए।

(कार्यवाही- परिवहन विभाग)

(22). बैठक में उपस्थित यातायात विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि एक्सप्रेस-वे पर वाहनों के प्रवेश के समय चेकिंग के निर्देश उनके विभाग द्वारा दिये गये

हैं। समस्त एक्सप्रेस-वे पर वाहनों के प्रवेश स्थलों पर पुलिस विभाग द्वारा उनके विभागीय आदेशानुक्रम में प्रतिदिन तथा परिवहन विभाग के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा सप्ताह में कम से कम दो बार प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जाए।

(कार्यवाही- पुलिस/परिवहन विभाग)

(23) बैठक में जेपी इन्फ्राटेक (यमुना एक्सप्रेस वे) के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि प्लांट वाटरिंग के लिए उनके द्वारा टैंकर का प्रयोग न कर लाइन बिछाकर यह कार्य किया जा रहा है। यूपीडा के प्रतिनिधियों द्वारा भी इस संबंध में विचार कर कार्यवाही के आश्वासन दिये गये हैं।

(कार्यवाही-यूपीडा,जेपी इन्फ्राटेक)

(24) एक्सप्रेस वे/राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गो पर दुर्घटनाओं को रोकने हेतु प्लांट वाटरिंग/सड़क की मरम्मत की दशा में तथा अन्य आवश्यक स्थितियों में दूर से ही चिन्हीकरण कर गति धीमी करने के सम्बन्ध में आई0आर0सी0 के क्या मानक हैं, इन्हें देख लिया जाय, यदि आवश्यकता हो, तो आई0आर0सी0 से लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुरोध किया जाय।

(कार्यवाही एन0एच0ए0आई0/यूपीडा/यीडा/उपशा/लोक निर्माण विभाग/परिवहन विभाग)

(25). चालकों को नींद आ जाने के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि के दृष्टिगत की गयी कार्यवाही के संबंध में यूपीडा के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि इनके द्वारा रात्रि में वाहन चालकों के लिए चाय की निःशुल्क व्यवस्था की जा रही है तथा वाहन चालकों को जागरूक भी किया जाता है। रात्रि के समय चालकों के साथ-साथ यात्रारत यात्रियों को भी टोल प्लाजा/फूड प्लाजा पर जागरूक किया जाये।

(कार्यवाही-यूपीडा)

(26) समस्त व्यावसायिक वाहन चालकों हेतु निर्धारित ड्यूटी ऑवर का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु एक ऐप, जिसमें चालक का इंट्री समय, चालन का समय, डी0एल0 नम्बर, वाहन संख्या आदि दर्ज हो, विकसित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। इस विषयक ऐप एवं वी0एल0टी0डी0 के लगाये जाने एवं उसके सफल क्रियान्वयन हेतु किसी अपर परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में श्री संजय सिंह, उप परिवहन आयुक्त, श्री मयंक ज्योति, उप परिवहन आयुक्त एवं श्री यजुवेन्द्र कुमार, प्रधान प्रबन्धक (आई0टी0) की एक समिति गठित की जाए।

(कार्यवाही- परिवहन विभाग)

(27). व्यावसायिक वाहनों के द्वारा रांग साइड, ओवर स्पीडिंग एवं ओवरलोडिंग अभियोगों में कई चालान होने की स्थिति में उनके परमिट निरस्तीकरण तथा पंजीयन प्रमाण पत्र के निरस्तीकरण की कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

(कार्यवाही- परिवहन विभाग)

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

Digitally signed by
AMIT GUPTA
Date: 30-07-2025
11:33:16
(अमित गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या-1720/तीस-3-2025
लखनऊ: दिनांक 30 जुलाई, 2025

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रमुख सचिव, गृह/बेसिक/माध्यमिक/उच्च शिक्षा/लोक निर्माण विभाग/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य /चिकित्सा शिक्षा विभाग/भूतत्व एवं खनिकर्म/आबकारी/नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

(2) अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), उ0प्र0।

(3) परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।

(4) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।

(5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एन0एच0ए0आई0/यूपीडा/यीडा/उपशा।

(6) समस्त पुलिस महानिरीक्षक, (जोन) उ0प्र0।

(7) समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, (परिक्षेत्र), उ0प्र0।

(8) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

(9) समस्त पुलिस आयुक्त/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

(10) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Digitally signed by
NITIN KUMAR GUPTA
Date: 30-07-2025
14:11:43
(नितिन कुमार गुप्त)
उप सचिव।

"उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद" की आहूत बैठक दिनांक 01.01.2025 तथा दिनांक 02.03.2025 में प्रदत्त निर्देशों के सापेक्ष कृत कार्यवाही/अद्यतन स्थिति की समीक्षा हेतु दिनांक 08.07.2025 को प्रमुख सचिव, परिवहन, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रतिभाग किये जाने वाले अधिकारियों की उपस्थिति का विवरण:-

क्र0 सं0	प्रतिभाग करने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम	विभाग का नाम	अधिकारी का मोबाइल नं0	प्रतिभाग करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
	K P Singh	Transport	7755867700	
	Arvind Kumar Maurya DIG	Traffic Directorate	9454400189	
	Prabhat Choudhary SE, IDS, PWD	PWD	9458286844	
	Mayank Jyoti AC (RS)	Transport	931573,730	
	S.A. Ansari	Sec STA	9415269773	
	Sanjai Singh	Addl TC (E)	9554035555	
	दिनेश कुमार	ATC (RS)	9897522639	

30-3023/150/2023-परिवहन अनुभाग-3-परिवहन विभाग (Computer No. 1719112)
ed from eOffice by आनन्द कुमार सिंह, ARO(AKS)-TRANSPORT, सहायक समीक्षा अधिकारी, परिवहन विभाग on 30/07/2025 06:00 PM

"उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद" की आहूत बैठक दिनांक 01.01.2025 तथा दिनांक 02.03.2025 में प्रदत्त निर्देशों के सापेक्ष कृत कार्यवाही/अद्यतन स्थिति की समीक्षा हेतु दिनांक 08.07.2025 को प्रमुख सचिव, परिवहन, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रतिभाग किये जाने वाले अधिकारियों की उपस्थिति का विवरणः–

क्र0 सं0	प्रतिभाग करने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम	विभाग का नाम	अधिकारी का मोबाइल नं0	प्रतिभाग करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
	Arjun Dangi Manager (Tech)	NHAI RO - UP (WEST)	9589619619	[signature]
	Sheshnath Additional Secretary	PWD.	9453628031	
	अवधेश कुमार तिवारी विशेष सचिव	गोवंश/कृषि	9457037572	[signature]
	Arun Kumar Spl Secy	Mining	13585742	[signature]
	Maj Gen Sanjiv Bajaj Consultant	JIL / YEP YEIDA	9479843266	[signature]
	N.K. ADARSH	Senior Manager (P) YEIDA	9718791423	[signature]
	संजय उपाध्याय उप निदेशक (बेसिक)	बेसिक शिक्षा	8368902663	[signature]

"उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद" की आहूत बैठक दिनांक 01.01.2025 तथा दिनांक 02.03.2025 में प्रदत्त निर्देशों के सापेक्ष कृत कार्यवाही/अद्यतन स्थिति की समीक्षा हेतु दिनांक 08.07.2025 को प्रमुख सचिव, परिवहन, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रतिभाग किये जाने वाले अधिकारियों की उपस्थिति का विवरण:—

क्र० सं०	प्रतिभाग करने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम	विभाग का नाम	अधिकारी का मोबाइल नं०	प्रतिभाग करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
	Om Prakash CSO (PG)	UPEIDA	7017003920	[signature]
2	Naresh chandra Dubey CSO NEA	Upeida	9450807[illegible]	[signature]
3	ANIL KUMAR GM(O) UPSRTC	UPSRTC	9643016100	[signature]
4	[illegible] Singh Deputy Secy. Excise	Excise	945441125 Lp	[signature]
5	Kishalay Singh US Basic Education	Basic Education	945441252	[signature]
6	Jaishankar Srivastava Asst. Director (Education)	Secondary Education	9839215597	[signature]
7	Ashish Kumar Sr. Mines Officer DGM Lko	Geology & Mining	3897534738	[signature]

File No. 30-3099/130/2023-परिवहन अनुभाग-3-परिवहन विभाग (Computer No. 1719112)
Generated from eOffice by आनन्द कुमार सिंह, ARO(AKS)-TRANSPORT, सहायक समीक्षा अधिकारी, परिवहन विभाग on 30/07/2025 06:00 PM

"उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद" की आहूत बैठक दिनांक 01.01.2025 तथा दिनांक 02.03.2025 में प्रदत्त निर्देशों के सापेक्ष कृत कार्यवाही/अद्यतन स्थिति की समीक्षा हेतु दिनांक 08.07.2025 को प्रमुख सचिव, परिवहन, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रतिभाग किये जाने वाले अधिकारियों की उपस्थिति का विवरणः–

क्र0 सं0	प्रतिभाग करने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम	विभाग का नाम	अधिकारी का मोबाइल नं0	प्रतिभाग करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
	[illegible] अधिशासी अधिकारी / [illegible] UPSHA	UPSHA	7499346475	
	OSD Road Safety Anukriti Singh	Transport Department	9838590777	
	OSD Road Safety Smita Gangwar	Transport Department	6386818939	
	Kshamta Rawat OSD Education (ASISH ant. Direct)	Transport department	9450004636	
	Samiksha Pandey OSD-Police (DySP)	Transport Deptt	9452710674	
	Rohit Kumar Yadav EE, PWD/OSD	परिवहन आयुक्त कार्यालय	9761654026	
	Shivam Singh AE (ULB)	Directorate of Urban Local Bodies	9006228810	

File No. 30-3099/180/2023-परिवहन अनुभाग-3-परिवहन विभाग (Computer No. 1719112)
Generated from eOffice by आनन्द कुमार सिंह, ARO(AKS)-TRANSPORT, सहायक समीक्षा अधिकारी, परिवहन विभाग on 30/07/2025 06:00 PM

"उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद" की आहूत बैठक दिनांक 01.01.2025 तथा दिनांक 02.03.2025 में प्रदत्त निर्देशों के सापेक्ष कृत कार्यवाही/अद्यतन स्थिति की समीक्षा हेतु दिनांक 08.07.2025 को प्रमुख सचिव, परिवहन, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रतिभाग किये जाने वाले अधिकारियों की उपस्थिति का विवरणः—

क्र० सं०	प्रतिभाग करने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम	विभाग का नाम	अधिकारी का मोबाइल नं०	प्रतिभाग करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
	Dr. Prashant Dixit	Urban Development	9927992771	[signature]

अनुभाग-3-परिवहन विभाग (Computer No. 1715112) ... समीक्षा अधिकारी, परिवहन विभाग on 30/07/2025 06:00 PM

Geometric elements in Priority Junction (Safer and Unsafe Practice)

When a side road traffic joins the main road, it has to wait to get a gap. If the vertical profile of intersecting minor road is not flat enough, it would be difficult for vehicles to wait in climbing position at the Stop Line as it is expected any vehicle entering from minor road should obey the 'Stop Sign' and 'Stop Line' ear marked on the minor road. Hence it is advisable that the minor road shall be flat for a minimum distance of 5 and desirably up to 10 m if the proportion of goods traffic entering from the minor road is substantial.

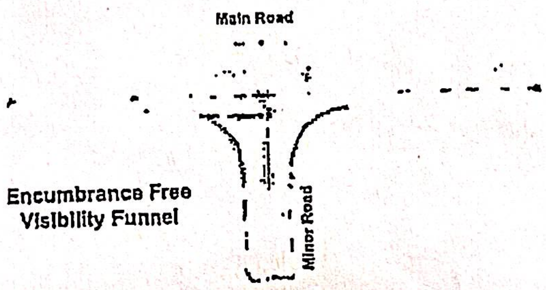

Geometric elements in Priority Junction (Safer and Unsafe Practice)

When a side road traffic joins the main road, it has to see the gap in the main road to turn right or left and sometime cross to other side. If the visibility funnel is occupied, it would really affect the mutual visibility of traffic in main road and that coming from side road. Hence visibility funnel shall always be kept encumbrance free.

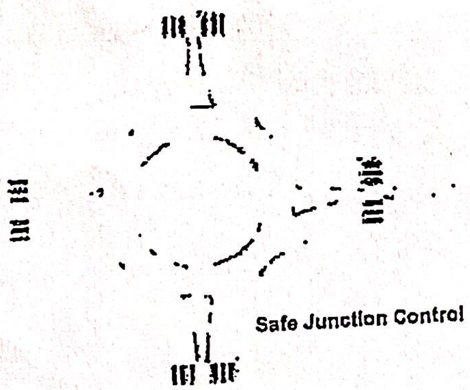

Geometric elements in Roundabout (Safe Layout)

Position of central island should be such that through movement of traffic even from extreme left land should not take place. Island on approach road to roundabout should be deflecting that approach speed gets reduced. so as to give priority to traffic already in the circulatory carriageway.

5.4 Technical Tips for Audit Teams: Roadside Hazards

5.4.1 *Roadside hazard management*

Roadside hazards are a major road safety risk. The five part strategy for managing roadside hazards can guide a road safety audit team in their roadside hazard management.

Step 1 - Keep vehicles on the road

Step 2 - Remove fixed objects from within the "clear zone" of the road

File No. 30-3039/150/2023-परिवहन अनुभाग-3-परिवहन विभाग (Computer No. 1719112)
Generated from eOffice by अनन्द कुमार सिंह, ARO(AKS)-TRANSPORT, सहायक समीक्षा अधिकारी, परिवहन विभाग on 30/07/2025 06:00 PM